

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- 274 /XXIV(4)/2016-01(08)2016

देहरादून : दिनांक 19 अगस्त, 2016

नव नियुक्ति/तैनाती आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमानुसार चयनोपरान्त प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों, जिनका विवरण (विषय, नाम, पता) तालिका में उल्लिखित है। अधोवर्णित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित असिस्टेन्ट प्रोफेसर (प्रवक्ता) (वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6000) के पद पर अस्थायी/औपबन्धिक आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने एवं उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	प्रथम नियुक्ति/तैनाती हेतु महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री गिरधर जोशी	रसायन विज्ञान	C/o डॉ० सन्तोष कुमार जोशी, आदर्श विहार, लेन नं०-3 श्यामपुर पो० प्रेमनगर, देहरादून 248007	राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर।
2	श्री कमल कुमार बिष्ट	रसायन विज्ञान	C/o डॉ० सन्तोष कुमार जोशी, आदर्श विहार, गली नं०-3 श्यामपुर पो० प्रेमनगर देहरादून 248007	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
3	श्री अविनाश तिवारी	रसायन विज्ञान	7ए/212, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई० लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226029	राजकीय महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि।
4	श्री जगदीश प्रसाद	रसायन विज्ञान	C/o प्रोफेसर एन०डी० काण्डपाल रसायन विज्ञान विभाग, सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा 263601	राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर।
5	श्रीमती मनीषा बिष्ट	रसायन विज्ञान	पत्नी श्री मनोज कुमार पाल 75/13 गोविन्दपुरी, आई०आई०टी०, रुड़की जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड 247667	राजकीय महाविद्यालय, थलीसैंड।
6	कु० हिमानी बिष्ट	रसायन विज्ञान	पुत्री श्री भगवत सिंह बिष्ट, रेलवे स्टेशन रोड, भवानीगंज, रामनगर (नैनीताल) 244715	राजकीय महाविद्यालय, सतपुली।
7	श्री अनूप सिंह	रसायन विज्ञान	ग्राम दालढुंग पट्टी बडियार गढ, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड-249162	राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल।
8	सुश्री प्रियदर्शी रीमा	रसायन विज्ञान	C/o प्रो० ए०बी० मेलकानी रसायन विज्ञान विभाग डी०एस०बी० परिसर नैनीताल 263002	राजकीय महाविद्यालय, स्थाल्दे
9	श्री रोहित वर्मा	रसायन विज्ञान	228 आकाशदीप कॉलोनी, बल्लूपुर सेड देहरादून 248001	राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर।

10	श्री प्रमोद रंजन पुत्र श्री मनोरंजन श्रीवास्तव	विधि	कमरा नं०-46 डॉ० भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, विधि संकाय, बी०एच०यू०, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005	राजकीय महाविद्यालय, विधि गोपेश्वर।
11	श्री अटल बिहारी त्रिपाठी	शिक्षा शास्त्र	ग्राम पुरुषोत्तम पुर, पोस्ट बनमालीपुर, जिला नयागढ़ ओडीसा 752077	राजकीय महाविद्यालय, पोखड़ा।
12	श्री लव कुमार	वाणिज्य	पुत्र श्री जसवीर सिंह, ग्राम खैडा पोस्ट पिलखुवा, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश 245304	राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़।

2- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को किसी समय समाप्त किया जा सकता है।

3- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें सम्बन्धित पद के सम्बन्ध में यथा प्रवृत्त सेवा विनियमों तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

4- अभ्यर्थी को नव नियुक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- इस नियुक्ति के कम में तैनाती स्थान पर योगदान प्रस्तुत करने/कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6- अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, उत्तराखण्ड के कुमाऊँ अथवा गढ़वाल मण्डल के मण्डलीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपने तैनाती मण्डल के अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। अपर मण्डलीय स्वास्थ्य निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन से अग्रिम आदेश प्राप्त किया जायेगा।

7- इस आदेश निर्गत होने की एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को प्रत्येक दशा में निम्न प्रमाण-पत्रों के साथ तैनाती महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के बाद ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा:-

(1) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छाया प्रतियों सहित।

(2) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

- (3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

8- योगदान करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न विषयों के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा:-

- (1) इस आशय की घोषणा/लिखित रूप में अन्दर टेकिंग कि उनके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है तथा किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इसके लिए वह किसी क्षति पूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में।
- (3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में।
- (4) इण्डियन ऑफिसियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में।
- (5) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

9- उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1990 के नियम-20(1) के अनुसार नवनियुक्ति अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।


10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 21/XXVII(7)/अपेयो/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत नवनियुक्ति कार्मिक "अंशदायी पेंशन योजना" से लाभान्वित होंगे।

11- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी तैनाती हेतु राजनीतिक दबाव अथवा सिफारिश हेतु प्रयास किया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दी गयी नियुक्ति से वंचित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

13- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, तो इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर तैनाती स्थान पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि वे उक्त अवधि के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।


14- जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं पूर्व वृत्त की जांच सत्यापन रिपोर्ट पूर्ण नहीं है उन अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि सत्यापन रिपोर्ट में कोई तथ्य प्रतिकूल पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।


(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

पुष्ठांकन संख्या- 274 (1)/XXIV(4)/2016-01 (08)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि आदेश निर्गत होने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उपरोक्त चयनित प्रवक्ताओं की योगदान सूचना तथा योगदान न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके मण्डल के लिए तैनाती हेतु उल्लिखित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि इनके कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 7- सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों, उत्तराखण्ड (द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अभ्यर्थी की योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की भली-भाँति जांच भी कर लें। साथ ही उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अथवा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल को उपलब्ध करायेंगे।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव